SPEED POST/E-MAIL

F. No. L. 11011/2/2020 (EP -1) Part-2

भारत सरकार

Government of India

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)

Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)

Education Policy Section (IM-1)

****

"AYUSH BHAWAN"
'B' Block, GPO Complex, INA, New Delhi-110 023
Dated: 16.11.2020

To

The Chairperson,
Board of Governors,
Central Council of Indian Medicine,
61-65, Institutional Area,
Opposite 'D' Block, Janakpuri,
New Delhi – 110 058.

To

The Chairperson,
Board of Governors,
Central Council of Homeopathy,
61-65, Institutional Area,
Opposite 'D' Block, Janakpuri,
New Delhi – 110 058.

Sir/Madam,

Subject: Counseling schedule for all admission to ASU & H Undergraduate Courses for the academic year 2020-21- reg.

Ministry of AYUSH has framed Counseling schedule for admission to the ASU & H UG courses for the academic year 2020-21 and the same is annexed herewith.

2. Ministry vide its letter dated 26.10.2020 has informed to al State/UT Government authorities that Counseling for All India Quota seats including Government, Government Aided, Deemed Universities, Central Universities and National Institutes for the Under graduate session 2020-21 will be conducted by AYUSH Admissions Central Counseling Committee(AACCC), Ministry of AYUSH, Government of India.

3. Further, Counseling for all India quota seats of Private Institutes (other than Deemed University) will be conducted by counseling authorities of respective State/UT Governments for academic session 2020-21. In this regard, general guidelines/rules to be followed by State/UT Governments counseling authorities for Counseling of all India quota seats of ASU&H Private institutions is also annexed with counseling schedule.

4. In this regard, you are requested to circulate Counseling Schedule along with guidelines/rules to all State/UT Government Authorities/ National Institutions/Universities/State/UT Counseling authorities etc. for taking necessary action at their level for timely conduction of counseling for State Government/Union Territory quota seats as well as for all India quota seats of ASU & H Private Institutions in order to complete the process as per the annexed Counseling Schedule.

5. This is for your information and further necessary action.

6. This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully

Encl.: As above

(Dr. SRK Vidyarthi)
Director, Ministry of AYUSH
Ph. No. 011-24651973

GUIDELINES FOR STATE/UT GOVERNMENTS FOR COUNSELLING OF ALL INDIA QUOTA PRIVATE SEATS:

1. Based on the provisions made in the regulations under IMCC Act, 1970 and HCC Act, 1973, minimum 15% seats of intake capacity in all ASU & H colleges shall be all India quota seats.

2. Ministry has decided that Counseling for All India Quota seats including Government, Government Aided, Deemed Universities, Central Universities and National Institutes for the Under graduate session 2020-21 will be conducted by AYUSH Admissions Central Counseling Committee(AACCC), Ministry of AYUSH, Government of India.

3. **Further, Counseling for all India quota seats of Private Institutes (other than Deemed University) will be conducted by counseling authority of respective State/UT Government for academic session 2020-21.**

4. **State/UT counseling authorities has to provide sufficient time to NEET-2020 qualified aspirants for registration of counseling for all India quota private seats as well as should give wider publicity for registration process.**

RULES TO BE FOLLOWED FOR ALL INDIA QUOTA PRIVATE SEATS FOR ADMISSION IN ASU & H UG COURSES FOR ACADEMIC YEAR 2020-21:

1. Seat under all India quota will be open in nature and there shall not be any requirement for domicile in a particular State/UT or passing of 10+2 in a particular State/UT.

2. State/UT counseling authorities shall conduct 02 Round for all India quota private seats and after 02^{nd} Round, in case of vacancy may convert these seats into the State/UT quota.

3. Other criteria will be remain same as for All India quota seats as mentioned on AACCC official counseling website namely "https://aaccc.gov.in/".

4. All counseling authorities are advised to read FAQs available and updated on aforesaid counseling website time to time for updated information regarding eligibility and other criteria's.

IMPORTANT INSTRUCTIONS:

1. **Passing marks for eligibility in admission to ASU & H UG courses** should be as per the ASU & H UG regulations and should be followed strictly. Admission without fulfilling the eligibility criteria will be considered as in-valid and seat may be cancelled accordingly. The details of marks required in 12^{th} Standard for different categories are as follows:

i. The candidate must have passed intermediate (10+2) or its equivalent examination recognised by the concerned State Government and Education Board **with the subjects of Physics, Chemistry, Biology and English individually.**

ii. **Minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry and Biology** at the aforesaid qualifying examination in the case of General category.

iii. **40% Marks** in the case of the **Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.**

iv. In respect of **persons with disability** candidate specified under the **Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016),** the minimum qualifying marks in the said qualifying examination are as follows:

   a) In Physics, Chemistry and Biology shall be **45%** in the case of **general category. (for PwD candidates only)**

   b) **40%** in the case of the **Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. (for PwD candidates only)**

2. For PwD candidates, **PwD certificate should be as per the guidelines issued by Central Government and notified by the CCIM/CCH.** (Available on counseling website under notices section).

3. In case, if an eligible candidate is having valid 12th standard Marks sheet, however, not having passing certificate of 12^{th} Standard due to non-issuance of same by the concerned authority. Then, if candidate fulfils all other criteria than he/she has to submit Affidavit/Undertaking stating that he/she will submit the passing certificate of 12th Standard as soon as issued by the concerned authority.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 10, 2018/अग्रहायण 19, 1940
No. 480] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 10, 2018/AGRAHAYANA 19, 1940

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2018

फा. सं. 24–14/2018 (स्नातकीय विनियम).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (झ), (ञ) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियमों का निर्माण करती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ एवं विनियोग.**—(1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2018 कहा जाएगा।

   (2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

   (3) ये विनियम उन छात्रों पर लागू होंगे जिन्हे शैक्षणिक सत्र (2019–2020) के प्रारंभ से बीएमएस, बीएसएमएस एवं बीयूएमएस के लिए प्रवेश किया गया होगा।

2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 (बाद में विनियमों के रूप में संदर्भित) अनुसूचि–1 में, विनियम 2 के लिए, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

   "2 **प्रवेश हेतु योग्यता.**—आयुर्वेद स्नातकीय शिक्षा में प्रवेश हेतु योग्यता निम्न प्रकार होगी:–

   (क) सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार सम्बंधित राज्य सरकार के मान्य शिक्षा बोर्ड से माध्यमिक (10+2) एवं उसके समकक्ष परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी विषयों सहित न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको सहित पास हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के उम्मीदवार उपरोक्त परीक्षाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान विषयों सहित 40 प्रतिशत अंको से उतीर्ण हो।

   (ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट विकलांगता तल चिन्ह रखने वाले अभ्यर्थियों के मामलें में, सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत होगें।

   (ग) किसी भी उम्मीदवार को जब तक वह पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश के समय 31 दिसम्बर को सत्रह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है और पाठ्यक्रम में पहले वर्ष में प्रवेश के समय 31 दिसम्बर को पच्चीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त नहीं हो, बीएएमएस उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

   बशर्ते अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों एवं शारीरिक विकलांग अभियर्थियों को पांच वर्ष की अधिकतम आयु में छूट दी जाए।

(घ) (i) स्नातक स्तर पर सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा होगी, अर्थात् प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में स्नातक पाठ्यकम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी) और केन्द्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी।

(ii) शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातक पाठ्यकम में प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवार के लिए आवश्यक शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित स्नातक पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशतक न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(क) अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम अंक 40 प्रतिशतक होगें।

(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट विकलांगता तल चिन्ह रखने वाले अभ्यर्थियों के मामलें में, सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम अंक 45 प्रतिशतक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 40 प्रतिशतक होगें।

व्याख्या– प्रतिशतक का निर्धारण अखिल भारतीय आयुष स्नातकीय पात्रता परीक्षा मे अखिल भारतीय सामान्य योग्यता कमसूची में उच्चतम प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।

बशर्ते कि जब संबंधित श्रेणियों में उम्मीदवारों की उचित संख्या स्नातकीय पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु किसी शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित किए गए अखिल भारतीय आयुष स्नातकीय पात्रता परीक्षा, जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट है, में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल हो जाए तो केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय परिषद् के परामर्श से अपने विवेक से संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यकम में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंको को कम करने का निर्णय ले सकती हैं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कम किए गए अंक मात्र उस शैक्षिक वर्ष हेतु लागू होंगे।

(iii) अखिल भारतीय आम योग्यता सूची के साथ–साथ पात्र उम्मीदवारों की राज्यवार योग्यता सूची राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी और सम्बंधित श्रेणी के उम्मीदवारों को केवल मेरिट सूचियों के आधार पर ही स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश कराया जाएगा।

(iv) सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए सीट मैट्रिक्स अखिल भारतीय कोटा पंद्रह प्रतिशत होगा और पिचासी प्रतिशत राज्यों और संघशासित प्रदेशों के लिए होगा।

(v) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसाइटी, अल्पसंख्यक संस्थान, निगम या कंपनी द्वारा स्थापित संस्थानों सहित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सभी आयुर्वेद शैक्षिक संस्थानों में स्नातक पाठ्यकम के सभी प्रवेश के लिए परामर्श के लिए नामित प्राधिकारी सम्बंधित राज्य या संघ क्षेत्र होगा, जैसा भी मामला हो।

(vi) अखिल भारतीय कोटा के तहत सीटों के लिए बीएएमएस कोर्स में सभी प्रवेश के लिए परामर्श और केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित सभी आयुर्वेद शैक्षणिक संस्थानों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जायेगा।

(vii) कोई भी उम्मीदवार जो उपर निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है, उसे शैक्षणिक वर्ष में स्नातक पाठ्यकम में प्रवेशित नहीं किया जायेगा।

(viii) कोई भी प्राधिकरण या संस्थान पाठ्यकम के लिए मानदंड या प्रकिया के उंलघन में स्नातक पाठ्यकम के लिए किसी भी उम्मीदवार का प्रवेश नहीं करेगा और मानदंड या प्रकिया के उल्लंघन में प्रवेशित किसी भी उम्मीदवार को तत्काल केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्वहन कर दिया जायेगा।

(ix) उपरोक्त मानदंड या प्रकिया के उल्लंघन में किसी भी छात्र को प्रवेश देने वाला प्राधिकरण या संस्थान अधिनियम के प्रावधानों के सन्दर्भ में कारवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ई) विदेशी नागरिकता के उम्मीदवार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात् किसी भी अन्य समकक्ष योग्यता की अनुमति दी जा सकती है और खंड (डी) विदेशी नागरिक के उम्मीदवार के लिए लागू नहीं होगा।

3. नियमन नियमों में, नियम 2 के लिए, अनुसूची–2 में, निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"2 प्रवेश के लिए योग्यता.—सिद्वा स्नातक शिक्षा में प्रवेश लेने की पात्रता निन्नानुसार होगीः–

(क) सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को सम्बंधित राज्य सरकार और शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी के विषयों सहित कम से कम 50 प्रतिशत अंक उतीर्ण होने चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी में 45 प्रतिशत अंको से उतीर्ण होने चाहिए।

(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट विकलांगता तल चिन्ह रखने वाले अभ्यर्थियों के मामलें में, सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत होगें।

(ग) किसी भी उम्मीदवार् को बी.एस.एम.एस डिग्री कोर्स में भर्ती नहीं किया जाएगा जब तक कि वह पाठयक्रम के पहले वर्ष में अपने प्रवेश के समय अथवा 31 दिसम्बर पाठयक्रम के पहले वर्ष में 17 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता और 25 वर्ष से अधिक ना हो प्रवेश के समय अथवा 31 दिसम्बर से पहले पाठयक्रम के पहले वर्ष में।

बशर्ते अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 5 साल तक की छुट दी जाएगी।

(घ) 1. स्नातक स्तर पर सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए एक समान्य प्रवेश परीक्षा होगी अथवा प्रत्येक वर्ष में स्नातक पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ईटी.) और केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत एक संस्थान इस परीक्षा को आयोजित करेगा।

2. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य उम्मीद्वार को शैक्षनिक वर्ग के लिए आयोजित राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशतक न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

बशर्ते कि—

(क) अनुसिचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीद्वार को न्यूनतम 40 प्रतिशतक प्राप्त करने होगें।

(ख) विक्लांग व्यक्तियों के अधिनियम 2016 (2016 का 49) के अधिकार के तहत् सामान्य श्रेणी के उम्मीद्वारों को न्यूनतम अंक 45 प्रतिशतक प्राप्त करने होंगे और अनुसिचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को 40 प्रतिशतक अंक प्राप्त करने होंगे।

स्पष्टीकरणः—

स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा में अखिल भारतीय सामान्य योग्यता सूची में सुरक्षित उच्चतम अंको के आधार पर प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा,

बशर्ते कि जब संबंधित श्रेणियों में उम्मीदवारों की उचित संख्या स्नातकीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु किसी शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित की गई राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा, जैसाकि ऊपर विनिर्दिष्ट है, में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल हो जाए तो केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय परिषद् के परामर्श से अपने विवेक से संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंको को कम करने का निर्णय ले सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कम किए गए अंक मात्र उस शैक्षिक वर्ष हेतु लागू होंगे।

(iii) राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की एक अखिल भारतीय सामान्य योग्यता क्रमसूची एवं राज्यवार योग्यता क्रमसूची तैयार की जाएगी तथा स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु अभ्यर्थियों, संबंधित श्रेणियों के अन्तर्गत, का प्रवेश मात्र इन सूचियों से होगा।

(iv) सरकारी, सरकारी—सहायता प्राप्त संस्थानों एवं निजी संस्थानों में प्रवेश हेतु सीट मैट्रिक्स अखिल भारतीय कोटा हेतु 15 प्रतिशत होगी एवं राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र कोटा हेतु 85 प्रतिशत होगी।

(v) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसायटी, अल्प संख्यक संस्थानों, निगमों अथवा कम्पनी द्वारा स्थापित संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में समस्त आयुर्वेद शिक्षण संस्थानों में स्नातकीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउन्सेलिंग के लिए नियुक्त प्राधिकारी संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित नियमों/विनियमों के अनुसार, जैसा मामला हो, संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र होगा।

(vi) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित समस्त सिद्ध संस्थानों एवं अखिल भारतीय कोटा के अधीन सीटों हेतु बी.एस.एम.एस. पाठ्यक्रम में सभी प्रवेशों के लिए काउन्सेलिंग केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा आयोजित कराई जाएगी।

(vii) कोई भी अभ्यर्थी जो उपरोक्त निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है उसे उस शैक्षिक वर्ष में स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(viii) प्रवेश के सम्बन्ध में इन विनियमों द्वारा निर्धारित मानदंड अथवा प्रक्रिया के उल्लंघन में स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए कोई भी प्राधिकारी अथवा संस्था किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश प्रदान नहीं करेगा तथा उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करके प्रवेश किये गये किसी भी अभ्यर्थी को तत्काल केन्द्रीय परिषद् द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा।

(ix) प्राधिकरण/संस्था जो किसी भी छात्र को उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करके प्रवेश प्रदान करती है, उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(ङ) अभ्यर्थी को 10वीं कक्षा अथवा उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में तमिल विषय को समस्त विषयों में से एक विषय के रूप मे उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

(च) वे अभ्यर्थी जो खण्ड (ङ) के अन्तर्गत नही आते हैं उन्हें प्रथम व्यवसायिक पाठ्यक्रम के दौरान तमिल का एक विषय के रूप में अध्ययन करना होगा।

(छ) विदेशी राष्ट्रीयता के अभ्यर्थियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समकक्ष अर्हता की स्वीकृति प्रदान की जाएगी एवं खण्ड (घ) उन विदेशी राष्ट्रीयता के अभ्यर्थियों के लिए लागू नही होंगे।"

4. उक्त विनियमों में विनियम 2 में, अनुसूची (iii) में, खण्ड (क) हेतु निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–"(क) कामिल–ए–तिब–ओ जराहत पाठ्यक्रम में प्रवेशः कामिल–ए–तिब–ओ जराहत (बैचलर आफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी–बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्रता निम्नवत् होगी :–

(क) अभ्यर्थी ने संबंधित राज्य सरकार एवं शिक्षा बोर्ड से मान्यताप्राप्त इण्टरमीडिएट (10+2) अथवा इसकी समकक्ष परीक्षा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषयों एवं व्यक्तिगत तौर पर अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो तथा सामान्य क्षेणी के अभ्यर्थियों के मामले में उक्त अर्हता परीक्षा में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में सम्मिलित रूप से न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक अनिवार्य रूप से प्राप्त किए हों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के मामले में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों:

बशर्ते कि अभ्यर्थी को एक विषय के रूप में उर्दू या अरबी या फारसी भाषा सहित 10वीं दर्जा उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा विश्वविद्यालय या बोर्ड या पंजीकृत सोसायटी, जो भारत सरकार द्वारा ऐसी परीक्षा का आयोजन कराने हेतु प्राधिकृत हो, के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में 10वीं दर्जे की उर्दू की परीक्षा (जहां कहीं ऐसी परीक्षा आयोजित कराने का प्रावधान है) उत्तीर्ण हो।

(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट विकलांग व्यक्तियों के मामलें में, सामान्य श्रेणी हेतु भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवंज जीव विज्ञान में उक्त अर्हता परीक्षा में न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के मामले में न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत होगें।

(ग) किसी भी अभ्यर्थी को बी.यू.एम.एस उपाधि पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश प्राप्त नहीं होगा जब तक कि वह पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अपने प्रवेश के वर्ष की 31 दिसम्बर को अथवा इससे पूर्व 17 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है तथा वह पाठयक्रम के प्रथम वर्ष में अपने प्रवेश के वर्ष की 31 दिसम्बर को अथवा इससे पूर्व 25 वर्ष की आयु से अधिक ना हो।

बशर्ते कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्षो की छूट होगी।

(घ) (i) प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्नातकीय स्तर पर समस्त चिकित्सा संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा अर्थात राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी.) होगी तथा इसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा आयोजित कराया जाएगा;

बशर्ते की राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी.) पूर्व तिब अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होंगी। पूर्व तिब अभ्यर्थियों के लिए सीटें आरक्षित होंगी।

(ii) किसी शैक्षिक वर्ष हेतु स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को उस शैक्षिक वर्ष हेतु आयोजित स्नातकीय पाठ्यकम हेतु राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी.) में न्यूनतम पचास प्रतिशतक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा;

बशर्ते की निम्न के संबंध में–

(I) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम प्राप्त अंक 40 प्रतिशतक होंगे।

(II) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट विकलांगता तल चिन्ह रखने वाले अभ्यर्थियों के मामलें में, सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम अंक 45 प्रतिशतक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 40 प्रतिशतक होगें।

व्याख्या– प्रतिशतता का निर्धारण स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु आयोजित राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी.) मे अखिल भारतीय सामान्य योग्यता कमसूची में उच्चतम प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।

बशर्ते कि जब संबंधित श्रेणियों में उम्मीदवारों की उचित संख्या स्नातकीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु किसी शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित किए गए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी.), जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट है, में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल हो जाए तो केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय परिषद् के परामर्श से अपने विवेक से संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंको को कम करने का निर्णय ले सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कम किए गए अंक मात्र उस शैक्षिक वर्ष हेतु लागू होंगे।

(iii) राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की एक अखिल भारतीय योग्यता क्रमसूची एवं राज्यवार योग्यता क्रमसूची तैयार की जाएगी तथा अभ्यर्थी जो कि संबंधित श्रेणियों के अन्तर्गत आते है, उनका प्रवेश स्नातकीय पाठ्यक्रम में मात्र इन सूचियों से होगा।

(iv) सरकारी, सरकारी–सहायता प्राप्त संस्थानों एवं निजी संस्थानों में प्रवेश हेतु सीट मैट्रिक्स अखिल भारतीय कोटा हेतु 15 प्रतिशत होगी एवं राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र कोटा हेतु 85 प्रतिशत होगी।

(v) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसायटी, अल्प संख्यक संस्थानों, निगमों अथवा कम्पनी द्वारा स्थापित संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में समस्त आयुर्वेद शिक्षण संस्थानों में

स्नातकीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउन्सेलिंग के लिए नियुक्त प्राधिकारी संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित नियमों/विनियमों के अनुसार, जैसा मामला हो, संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र होगा।

(vi) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित समस्त यूनानी शिक्षा संस्थानों एवं अखिल भारतीय कोटा के अधीन सीटों हेतु बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में सभी प्रवेशों के लिए काउन्सेलिंग केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा आयोजित कराई जाएगी।

(vii) कोई भी अभ्यर्थी जो उपरोक्त निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है उसे शैक्षिक वर्ष में स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(viii) प्रवेश के सम्बन्ध में इन विनियमों द्वारा निर्धारित मानदंड अथवा प्रक्रिया के उल्लंघन में स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए कोई भी प्राधिकारी अथवा संस्था किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश प्रदान नहीं करेगा तथा उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करके प्रवेश किये गये किसी भी अभ्यर्थी को तत्काल केन्द्रीय परिषद् द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा।

(ix) प्राधिकरण/संस्था जो किसी भी छात्र को उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करके प्रवेश प्रदान करती है, वह अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(ङ) विदेशी राष्ट्रीयता के अभ्यर्थियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समकक्ष अर्हता की स्वीकृति प्रदान की जाएगी एवं खण्ड (घ) उन विदेशी राष्ट्रीयता के अभ्यर्थियों के लिए अथवा एक वर्ष की अवधि की पूर्व तिब परीक्षा के लिए लागू नही होंगे।"

शमशाद बानो, निबंधक–सह–सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./402/2018]

टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत सरकार के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4 में संख्या 8–3/86–विनियम दिनांक 31 मई, 1986 के द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा अधिसूचना संख्या 24–14/2016 (स्नातकीय विनियम) दिनांक 7 नवम्बर, 2016, संख्या 18–12/2016–सिद्ध (स्नातकीय पाठ्य विवरण) दिनांक 7 नवम्बर, 2016, तथा संख्या 11–76/2016–यूनानी (स्नातकीय विनियम) दिनांक 7 नवम्बर, 2016 के द्वारा अन्तिम बार संशोधित किया गया था।

टिप्पणी : अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अग्रेंजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2018 को अन्तिम माना जायेगा।

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2018

F. No. 24-14/2018 (UG Regulation).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, namely:—

1. **Short title, commencement and application.**–(1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

   (3) These regulations shall apply to students who shall be admitted for B.A.M.S., B.S.M.S. and B.U.M.S from the commencement of the academic session (2019-2020).

2. In the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986 (hereinafter referred to as the said regulations) in Schedule-I, for regulation 2, the following regulation shall be substituted, namely:-

   "**2. Eligibility for Admission.**- The eligibility to seek admission in Bachelor of Ayurveda education shall be as under:-

   (a) The candidate must have passed intermediate (10+2) or its equivalent examination recognised by the concerned State Government and Education Board with the subjects of Physics, Chemistry, Biology and English individually and must have obtained minimum of fifty per cent. marks taken together in Physics, Chemistry and Biology at the aforesaid qualifying examination in the case of general category and forty per cent. Marks in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(b) In respect of persons with disability candidate specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum qualifying marks in the said qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology shall be forty-five per cent. in the case of general category and forty per cent. in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) No candidate shall be admitted to B.A.M.S Degree Course unless he has attained the age of seventeen years on or before the 31st December of the year of his admission in the first year of the course and not more than of twenty-five years on or before the 31st December of the year of admission in the first year of the course:

Provided that the upper age limit may be relaxed by five years in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and physically handicapped candidates.

(d) (i) There shall be a uniform entrance examination for all medical institutions at the under-graduate level, namely the National Eligibility Entrance Test (NEET) for admission to under-graduatecourse in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the Central Government.

(ii) In order to be eligible for admission to under-graduate course for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the 'National Eligibility Entrance Test for under-graduate course' held for the said academic year:

Provided that in respect of-

(A) candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile;

(B) candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum marks shall be at 45th percentile in the case of general category and 40th percentile in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

Explanation.—The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the all India common merit list in the National Eligibility Entrance Test for under-graduate courses:

Provided further that when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks in the National Eligibility Entrance Test, as specified above, held for any academic year for admission to under-graduate courses, the Central Government in consultation with the Central Council may at its discretion lower the minimum marks required for admission to under-graduate course for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for that academic year only.

(iii) An all India common merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in the National Eligibility Entrance Test and the candidates, within the respective categories, shall be admitted to under-graduate course from the said merit lists only.

(iv) The seat matrix for admission in the Government, Government-aided Institutions and Private Institutions shall be fifteen per cent. for the all India quota and eighty-five per cent. for the States and Union territories quota.

(v) The designated authority for counseling for all admissions to under-graduate course in all Ayurveda educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Deemed University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.

(vi) The counseling for all admission to B.A.M.S Course for seats under all India quota as well as for all Ayurveda educational institutions established by the Central Government shall be conducted by the authority designated by the Central Government.

(vii) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as specified above shall be admitted to under-graduate course in the said academic year.

(viii) No authority or institution shall admit any candidate to the under-graduate course in contravention of the criteria or procedure as laid down by these regulations in respect of admissions and any candidate admitted in contravention of the said criteria or procedure shall be discharged by the Central Council forthwith.

(ix) The authority or institution which grants admission to any student in contravention of the aforesaid criteria or procedure shall be liable to face action in terms of the provisions of the Act.

(e) For foreign national candidate any other equivalent qualification to be approved by the Central Government may be allowed and clause (d) shall not be applicable for said foreign national candidate.".

3. In the said regulations, in Schedule-II, for regulation 2, the following regulation shall be substituted, namely:—

"**2. Eligibility for admission.-** The eligibility to seek admission in Bachelor of Siddha education shall be as under:—

(a) The candidate must have passed intermediate (10+2) or its equivalent examination recognised by the concerned State Government and Education Boardwith the subjects of Physics, Chemistry, Biology and English individually and must have obtained minimumfifty per cent. marks taken together in Physics, Chemistry and Biology at the aforesaid qualifying examination in the case of general category and forty per cent.marks in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(b) In respect of persons with disability candidate specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum qualifying marks in the said qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology shall be forty-five per cent. in the case of general category and forty per cent. in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) No candidate shall be admitted to B.S.M.S Degree Course unless he has attained the age of seventeen years on or before the 31st December of the year of his admission in the first year of the course and not more than of twenty-five years on or before the 31st December of the year of admission in the first year of the course:

Provided that the upper age limit may be relaxed by five years in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and physically handicapped candidates.

(d) (i) There shall be a uniform entrance examination for all medical institutions at the under-graduate level, namely the National Eligibility Entrance Test (NEET) for admission to under-graduate course in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the Central Government.

(ii) In order to be eligible for admission to under-graduate course for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the 'National Eligibility Entrance Test for under-graduate course' held for the said academic year:

Provided that in respect of-

(A) candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile;

(B) candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum marks shall be at 45th percentile in the case of general category and 40th percentile in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

Explanation.—The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the all India common merit list in the National Eligibility Entrance Test for under-graduate courses:

Provided further that when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks in the National Eligibility Entrance Test, as specified above, held for any academic year for admission to under-graduate courses, the Central Government in consultation with the Central Council may at its discretion lower the minimum marks required for admission to under-graduate course for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for that academic year only.

(iii) An all India common merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in the National Eligibility Entrance Test and the candidates, within the respective categories, shall be admitted to under-graduate course from the said merit lists only.

(iv) The seat matrix for admission in the Government, Government-aided Institutions and Private Institutions shall be fifteen per cent. for the all India quota and eighty-five per cent. for the States and Union territories quota.

(v) The designated authority for counseling for all admission to under-graduate course in all Ayurveda educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Deemed University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.

(vi) The counseling for all admission to B.S.M.S Course for seats under all India quota as well as for all Siddha educational institutions established by the Central Government shall be conducted by the authority designated by the Central Government.

(vii) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as specified above shall be admitted to under-graduate course in the said academic year.

(viii) No authority or institution shall admit any candidate to the under-graduate course in contravention of the criteria or procedure as laid down by these regulations in respect of admissions and any candidate admitted in contravention of the said criteria or procedure shall be discharged by the Central Council forthwith.

(ix) The authority or institution which grants admission to any student in contravention of the aforesaid criteria or procedure shall be liable to face action in terms of the provisions of the Act.

(e) Candidate must have passed Tamil as one of the subjects in the 10th Standard or in Higher Secondary course.

(f) Candidates who are not covered under clause (e) shall have to study Tamil as a subject during the First Professional course.

(g) For foreign national candidate any other equivalent qualification to be approved by the Central Government may be allowed and clause (d) shall not be applicable for said foreign national candidate.".

4. In the said regulations, in Schedule-III, in regulation 2, for clause (A), the following clause shall be substituted, namely:—

"(A) Admission to KamileTib-O-Jarahat course: The eligibility to seek admission in KamileTib-O-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery- B.U.M.S.) course shall be as under:-

(a) The candidate must have passed intermediate (10+2) or its equivalent examination recognised by the concerned State Government and Education Board withsubjects of Physics, Chemistry, Biology and English individually and must have obtained minimum fifty per cent. marks taken together in Physics, Chemistry and Biology at the aforesaid qualifying examination in the case of general category and forty per cent. marks in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes:

Provided that the candidate must have passed the 10th standard with Urdu or Arabic or Persian language as a subject, or clear the test of Urdu of 10th Standard (wherever there is provision to conduct of such test) in the entrance examination conducted by the University or Board or registered Society or Associationauthorised by the Government to conduct such examination.

(b) In respect of persons with disability candidate specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum qualifying marks in the said qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology shall be forty-five per cent. in the case of general category and forty per cent. in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) No candidate shall be admitted to B.U.M.S Degree Course unless he has attained the age of seventeen years on or before the 31st December of the year of his admission in the first year of the course and not more than of twenty-five years on or before the 31st December of the year of admission in the first year of the course:

Provided that the upper age limit may be relaxed by five years in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and physically handicapped candidates.

(d) (i) There shall be a uniform entrance examination for all medical institutions at the under-graduate level, namely the National Eligibility Entrance Test (NEET) for admission to under-graduate course in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the Central Government:

Provided that the NEET shall not applicable to Pre-Tib candidates and ten per cent. seatsshall be reserved for Pre-Tib candidates.

(ii) In order to be eligible for admission to under-graduate course for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the 'National Eligibility Entrance Test for under-graduate course' held for the said academic year:

Provided that in respect of-

(I) candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile;

(II) candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum marks shall be at 45th percentile in the case of general category and 40th percentile in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

Explanation.—The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the all India common merit list in the National Eligibility Entrance Test for under-graduate courses:

Provided further that when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks in the National Eligibility Entrance Test, as specified above, held for any academic year for admission to under-graduate courses, the Central Government in consultation with the Central Council may at its discretion lower the minimum marks required for admission to under-graduate course for candidates belonging to

respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for that academic year only.

(iii) An all India common merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in the National Eligibility Entrance Test and the candidates, within the respective categories, shall be admitted to under-graduate course from the said merit lists only.

(iv) The seat matrix for admission in the Government, Government-aided Institutions and Private Institutions shall be fifteen per cent. for the all India quota and eighty-five per cent. for the States and Union territories quota.

(v) The designated authority for counseling for all admission to under-graduate course in all Ayurveda educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Deemed University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.

(vi) The counseling for all admission to B.U.M.S Course for seats under all India quota as well as for all Unani educational institutions established by the Central Government shall be conducted by the authority designated by the Central Government.

(vii) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as specified above shall be admitted to under-graduate course in the said academic year.

(viii) No authority or institution shall admit any candidate to the under-graduate course in contravention of the criteria or procedure as laid down by these regulations in respect of admissions and any candidate admitted in contravention of the said criteria or procedure shall be discharged by the Central Council forthwith.

(ix) The authority or institution which grants admission to any student in contravention of the aforesaid criteria or procedure shall be liable to face action in terms of the provisions of the Act.

(e) For foreign national candidates any other equivalent qualification to be approved by the Central Government maybe allowedand clause (d) shall not be applicable for said foreign national candidates or the Pre-Tib examination of one-year duration.".

SHAMSHAD BANO, Registrar-Cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./402/2018]

Note : The Principal regulations were published in the Gazette of India, Part-III, Section-4, *vide* number 8-3/86-Regl., dated the May 31, 1986 and were last amended *vide* notification F. No. 24-14/2016(U.G. Regulation), dated the 7th November, 2016, F. No. 18-12/2016-Siddha (Syllabus UG), dated the 7th November, 2016 and F. No. 11-76/2016-Unani (U.G. Regl.), dated the 7th November, 2016.

(If any discrepancy is found between Hindi and English version of "Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2018", the English version will be treated as final.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2018.12.10 22:40:43 +05'30'

(vi) The counseling for all admissions to postgraduate course for seats under the all India quota as well as for all Homoeopathy educational institutions established by the Central Government shall be conducted by the authority designated by the Central Government.

(vii) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as specified above shall be admitted to postgraduate course in the said academic year.

(viii) No authority or institution shall admit any candidate to the postgraduate course in contravention of the criteria or procedure as laid down by these regulations in respect of admissions and any candidate admitted in contravention of the said criteria or procedure shall be discharged by the Central Council forthwith.

(ix) The authority or institution which grants admission to any student in contravention of the aforesaid criteria or procedure shall be liable to face action in terms of the provisions of the Act.".

Dr. ASHIS DATTA, Registrar –Cum –Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./419/18]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, vide No.12-18/89-CCH, dated the 16th November, 1989 and subsequently Amended vide:-

1. 12-3/91-CCH, dated the 22nd February, 1993;
2. 12-3/91-CCH(Pt.), dated the 5th November, 2001;
3. 12-2/2006-CCH(Pt.), dated 5th March, 2012; and
4. 12-11/2010-CCH(Pt.), dated the 28th March, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2018

सं. 12–13/2006–के हो प (पार्ट–V).—केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59 वाँ) की धारा 33 के खण्ड (झ) (ञ) (ट) और धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 1983 में आगे सं''ोधन हेतु निम्न विनियम बनाती है, अर्थात्:–

1 **संक्षिप्त भीर्शक, प्रारंभ एवं विनियोग.**—(1) इन विनियमों का नाम होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) संशोधन विनियम, 2018 होगा ।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये विनियम उन छात्रों पर लागू होंगे जो कि शैक्षणिक सत्र (2019–2020) से आरंभ होने वाले बीएचएमएस (डिग्री पाठ्यक्रम) में प्रवेश लेंगे ।

2. होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम,1983 में, (यहाँ इसके पश्चात उक्त विनियमों से संदर्भित) के विनियम 4 में, –

(अ) उप विनियम (i) में, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थातः– "परन्तु यह कि –

(i) अभ्यर्थी भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान तथा अंग्रेजी, प्रत्येक विषयों को अलग अलग उत्तीर्ण किया हो तथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान विषयों में संयुक्त रूप से सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों द्वारा कम से कम पचास प्रतिशत अंकों तथा अनुसूचित जाति, जन जाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों द्वारा चालीस प्रतिशत अंकों से उतीर्ण किया हो;

(ii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट संदर्भित दिव्यांगजन (बेंचमार्क) रखने वाले अभ्यर्थियों के मामलें में सामान्य श्रेणी हेतु भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान विषयों में न्यूनतम अंक पैतालीस प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक चालीस प्रतिशत होगें।":

(आ) उप विनियम (ii) के लिए निम्न उप–विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :–

"(ii) किसी भी अभ्यर्थी को प्रथम बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके प्रथम वर्ष में प्रवेश के वर्ष के 31 दिसम्बर को अथवा उससे पूर्व सत्रह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लिया हो तथा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के वर्ष 31 दिसम्बर को अभ्यर्थी की आयु पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों एवं शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को आयु में अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।"

उक्त विनियमों के विनियम 4अ में, उप विनियम (i) के लिए, निम्न उप–विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(i) स्नातक स्तर पर सभी आयुर्विज्ञान संस्थानों के लिए एक सामूहिक प्रवेश परीक्षा होगी, अर्थात् प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी) केन्द्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जायेगी।

(ii) एक शैक्षणिक वर्ष में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता हेतु अभ्यर्थी को उक्त शैक्षणिक वर्ष में आयोजित "स्नातक पाठ्यक्रम हेतु राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा" में न्यूनतम 50वॉं प्रतिशतक अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा :

परन्तु निम्न के लिए–

(अ) अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अंक 40वॉं प्रतिशतक होंगे।

(आ) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट संदर्भित दिव्यांगजन (बेंचमार्क) रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम अंक, सामान्य श्रेणी हेतु 45वॉं प्रतिशतक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग हेतु 40वॉं प्रतिशतक होगें।

स्पष्टीकरण– स्नातक पाठ्यक्रम के लिए प्रतिशतक का निर्धारण राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा में अखिल भारतीय सामूहिक योग्यता सूची में उच्चतम प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगाः

परन्तु इसके अतिरिक्त यदि संबंधित श्रेणियों में किसी शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित उपर्युक्त विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा में उचित संख्या में अभ्यर्थी, निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल हों, तो केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय परिषद् के साथ परामर्श कर अपने विवेक से संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंको को कम करने का निर्णय ले सकती हैं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे कम किए गए अंक मात्र उसी शैक्षणिक वर्ष हेतु मान्य होंगे।

(iii) अभ्यर्थियों की, अखिल भारतीय योग्यता सूची के साथ–साथ राज्यवार योग्यता सूची, राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा में प्राप्ताकों के आधार पर तैयार की जायेगी और सम्बंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को केवल योग्यता सूचियों के आधार पर ही स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा ।

(iv) शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थानों तथा निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए सीट मैट्रिक्स अखिल भारतीय कोटा पंद्रह प्रतिशत एवं राज्यों और संघशासित प्रदेशों के लिए पचासी प्रतिशत होगा।

(v) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसाइटी, अल्पसंख्यक संस्थान, निगम अथवा कंपनी द्वारा स्थापित संस्थानों सहित राज्यों और संघशासित प्रदेशो के सभी होम्योपैथी आयुर्विज्ञान संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परामर्श हेतु नामित प्राधिकारी, संबंधित राज्य एवं संघशासित प्रदेश के नियमों तथा विनियमों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, राज्य शासन अथवा संघशासित प्रदेश होंगे ।

(vi) अखिल भारतीय कोटे के सीटों के साथ साथ केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित सभी होम्योपैथी संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परामर्श, केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आयोजित किया जायेगा।

(vii) अभ्यर्थी जोकि उपर्युक्त निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने में विफल रहा हो, उसे उक्त शैक्षणिक वर्ष में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(viii) इन विनियमों द्वारा प्रवेश के संबंध में निर्धारित मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन कर कोई भी प्राधिकारी अथवा संस्था किसी भी अभ्यर्थी को स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा और उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन कर प्रवेशित अभ्यर्थी को केन्द्रीय परिषद् द्वारा अविलंब हटा दिया जायेगा।

(ix) किसी भी छात्र को उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करके प्रवेश प्रदान करने वाले प्राधिकरण अथवा संस्था के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी ।

(x) विदेशी नागरिकता वाले अभ्यर्थियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समकक्ष योग्यता की अनुमति दी जा सकती है तथा विदेशी नागरिकता के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा अर्थात राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (एनईईटी) लागू नहीं होगी।

4. उक्त विनियमों के विनियम 6 शीषक "चतुर्थ बी.एच.एम.एस." के अंतर्गत, उप शीर्षक "स परीक्षा" च भाग "2. मौखिक परीक्षा अथवा मौखिक सहित प्रयोगात्मक" तथा संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् –

"2. प्रयोगात्मक सहित मौखिक परीक्षा अथवा मौखिक :

2.1 अंक–200

2.2 अंको का विभाजनः	अंक
2.2.1 एक दीर्घ केस	40
2.2.2 एक लघु केस	20
2.2.3 प्रायोगिक रिकार्ड, केस रिकार्ड, जर्नल	15
2.2.4 नमूनों की पहचान (एक्स–रे, ई.सी.जी. इत्यादि)	25
2.2.5 मौखिक परीक्षा	100
कुल	**200**

5. उक्त विनियमों में विनियम 11, उप–विनियम (iii)में खण्ड (इ) के लिए निम्न खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"(इ) अभ्यार्थी को द्वितीय बीएचएमएस परीक्षा में प्रवेश की अनुमति से कम से कम एक सत्र (छः माह) पूर्व प्रथम बीएचएमएस परीक्षा की सभी विषयों में उत्तीर्ण होना होगा। "

डॉ. आशिस दत्ता, रजिस्ट्रार–सह–सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./419/18]

नोट : मूल विनियमों को भारत के असाधारण राजपत्र भाग–III, खण्ड 4 में संख्या 7–1/83/के.हो.प. के द्वारा दिनॉक 11 मई, 1983 को प्रकाशित किया गया तथा अंतिम संशोधन 12–13/2006–के.हो.प. (भाग–V) दिनॉक 29 जून, 2016 में किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2018

No. 12-13/2006-CCH(Pt.V).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of section 33 and sub-section (1) of section 20 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Homoeopathy (Degree Course) Regulations, 1983 namely: -

1. **Short title and commencement and application.**—(1) These regulations may be called the Homoeopathy (Degree Course) Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These regulations shall apply to students who shall be admitted for B.H.M.S. (Degree Course) from the commencement of the academic session (2019-2020).

2. In the Homoeopathy (Degree Course) Regulations, 1983 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 4, –

(a) in sub-regulation (i), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that-

(i) the candidate must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology and English individually and must have obtained a minimum of fifty per cent. marks taken together in Physics, Chemistry and Biology at the qualifying examination mentioned above for unreserved candidates and forty per cent. marks in respect of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes;

(ii) candidate with benchmark disabilities as specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum qualifying marks in qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology shall be forty-five per cent. for general category and forty per cent. for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.";

b) for sub-regulation (ii), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(ii) No candidate shall be admitted to B.H.M.S. Degree Course unless he has attained the age of seventeen years on or before the 31st December of the year of this admission in the first year of the course **and not older than the age of twenty-five years on or before the 31st December of the year of admission in the first year of the course:**

Provided that the upper age limit may be relaxed by five years to the Scheduled Castes,

Scheduled Tribes, Other Backward Classes and physically handicapped candidates.".

3. In the said regulations, in regulation 4A, for sub-regulation (i), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(i) There shall be a uniform entrance examination to all medical institutions at the undergraduate level, namely the National Eligibility Entrance Test (NEET) for admission to undergraduate course in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the Central Government;

(ii) In order to be eligible for admission to undergraduate course for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the 'National Eligibility Entrance Test for undergraduate course' held for the said academic year:

Provided that in respect of-

(a) candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile;

(b) candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum marks shall be at 45th percentile for General Category and 40th percentile for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

Explanation. – The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the all India common merit list in the National Eligibility Entrance Test for undergraduate courses:

Provided further that when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks in the National Eligibility Entrance Test, as specified above, held for any academic year for admission to undergraduate courses, the Central Government in consultation with Central Council may at its discretion lower the minimum marks required for admission to undergraduate course for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for that academic year only.

(iii) An all India common merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in the National Eligibility Entrance Test and the candidates, within the respective categories, shall be admitted to undergraduate course from the said merit lists only.

(iv) The seat matrix for admission in the Government, Government-aided Institutions and Private Institutions shall be fifteen per cent. for the all India quota and eighty-five per cent. for the States and Union territories quota.

(v) The designated authority for counseling for all admissions to undergraduate course in all Homoeopathy educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the States Government, University, Deemed University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company

shall be the respective State or Union territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.

(vi) The counseling for all admissions to undergraduate course for seats under the all India quota as well as for all Homoeopathy educational institutions established by the Central Government shall be conducted by the authority designated by the Central Government.

(vii) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as specified above shall be admitted to undergraduate course in the said academic year.

(viii) No authority or institution shall admit any candidate to the undergraduate course in contravention of the criteria or procedure as laid down by these regulations in respect of admissions and any candidate admitted in contravention of the said criteria or procedure shall be discharged by the Central Council forthwith.

(ix) The authority or institution which grants admission to any student in contravention of the aforesaid criteria or procedure shall be liable to face action in terms of the provisions of the Act.

(x) For foreign national candidates any other equivalent qualification to be approved by the Central Government may be allowed, and entrance examination for admission to undergraduate course namely the National Eligibility Entrance Test (NEET) shall not be applicable for foreign national candidates.".

4. In the said regulations, in regulation 6, under the heading "Fourth B.H.M.S.", under sub-heading "C. Examination", for part "2. Practical including viva voice or oral" and the entries relating there to, the following shall be substituted, namely:-

"2. Practical including viva voce or oral"

2.1. Marks: 200

2.2. Distribution of marks:	Marks
2.2.1. One long case	40
2.2.2. One short case	20
2.2.3. Practical records, case records, journal	15
2.2.4. Identification of specimens (X-ray, E.C.G., etc.)	25
2.2.5. Viva voce (oral)	100

Total	**200.".**

5. In the said regulations, in regulation 11, in sub-regulation (iii), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) The candidate shall pass First BHMS Examination in all the subjects at least one term (six months) before he is allowed to appear in Second BHMS Examination.".

Dr. ASHIS DATTA, Registrar –Cum –Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./419/18]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, *vide* number 7-1/83/CCH, dated the 11th May, 1983 and last amended *vide 12-13/2006-CCH(Pt.V), dated the* 29th June, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2018.12.17 22:46:27 +05'30'

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 439] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019 — आषाढ़ 25, शक 1941

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2–18/नौ/55–तीन. — राज्य शासन एतद्द्वारा प्रदेश के आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :–**

(1) ये नियम **"छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019"** कहलाएंगे।

(2) प्रदेश के समस्त शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त तथा गैर अनुदान प्राप्त निजी आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश इन नियमों के आधार पर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण :– शासकीय अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालय से तात्पर्य ऐसे निजी महाविद्यालय से है, जिसने धनराशि, भवन, भूमि, अस्पताल अथवा अन्य किसी रूप में राज्य/केन्द्र शासन से कोई भी सहायता प्राप्त की हो।

(3) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होंगे।

2. **परिभाषाएं** :– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो :–

(क) **'आयुष'** से अभिप्रेत है, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी।

(ख) **'श्रेणी'** से अभिप्रेत है, इन चारों श्रेणियों में से कोई एक, अर्थात् **'अनुसूचित जाति', 'अनुसूचित जनजाति', 'अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)' तथा 'अनारक्षित'** ।

(ग) **'संवर्ग'** से अभिप्रेत है, इन चारों संवर्गों में से कोई एक अर्थात् **'सैनिक', 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी', 'दिव्यांग' तथा 'महिला'** ।

(घ) **'महाविद्यालय'** से अभिप्रेत है, **'छत्तीसगढ़ में स्थित आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी महाविद्यालय'** ।

(ङ) **'प्रवेश परीक्षा'** से अभिप्रेत है, कि केन्द्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित **राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी.)**।

(च) **'संचालक'** से अभिप्रेत है, **'संचालक, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ़'** ।

(छ) **'दिव्यांग'** से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो ''निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016'' के अनुसार दिव्यांग की श्रेणी में आता हो, परन्तु आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अयोग्य नहीं माना गया हो।

(ज) **'स्थानीय निवासी'** से अभिप्रेत है, ऐसा अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी हो तथा राज्य शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र का धारक हो।

(झ) **'अल्पसंख्यक संस्था'** से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा राज्य में संचालित तथा ऐसी शर्तो के अधीन मान्यता प्रदत्त अथवा अधिसूचित हो जो राज्य शासन द्वारा निर्धारित हो ।

(ञ) **'बिना संवर्ग'** से अभिप्रेत है, **जो किसी भी संवर्ग के अन्तर्गत न हो** ।

(ट) '**गैर स्थानीय निवासी**' से अभिप्रेत है, ऐसा अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रान्त का स्थानीय निवासी हो तथा संबंधित शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का धारक हो ।

(ठ) **'राज्य शासन'** से अभिप्रेत है, **'छत्तीसगढ़ शासन'** ।

(ड)''भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद'' से अभिप्रेत है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का सं0 48) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय परिषद।

(ढ) **''केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद''** से अभिप्रेत है, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का सं. 59) की धारा 3 के अधीन गठित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्।

(ण) **''विश्वविद्यालय''** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़।

3. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

(क) **निवासी संबंधी अर्हताएँ** :- केवल वही अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अर्ह होगा, जो,

(1) भारत का नागरिक हो ।

(2) छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी अथवा गैर स्थानीय निवासी हो।

(ख) शैक्षणिक अर्हताएँ :- विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं निम्नानुसार होगी :-

01. **बी.ए.एम.एस./ बी.एच.एम.एस./ बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्यता निम्न प्रकार होगी :-**

अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से माध्यमिक (10+2) एवं उसके समकक्ष परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी विषयों सहित तथा बायोलॉजी (प्राणी विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान) रसायन शास्त्र एवं भौतिक शास्त्र इन तीनों विषयों में सम्मिलित (Aggregate) रूप से सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ, सामान्य श्रेणी के दिव्यांग संवर्ग के अभ्यर्थी न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तथा इन्हीं श्रेणियों के दिव्यांग अभ्यर्थी न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण की हो।

02. **बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्यता निम्न प्रकार होगी :-**

अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से माध्यमिक (10+2) एवं उसके समकक्ष परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी विषयों सहित तथा बायोलॉजी (प्राणी विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान) रसायन शास्त्र एवं भौतिक शास्त्र इन तीनों विषयों में सम्मिलित (Aggregate) रूप से सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ, सामान्य श्रेणी के दिव्यांग संवर्ग के अभ्यर्थी न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तथा इन्हीं श्रेणियों के दिव्यांग अभ्यर्थी न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण की हो।

उक्त अर्हता के साथ अभ्यर्थी को एक विषय के रूप में उर्दू या अरबी या फारसी भाषा सहित 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अथवा विश्वविद्यालय या बोर्ड या पंजीकृत सोसायटी, जो भारत सरकार द्वारा ऐसी परीक्षा का आयोजन कराने हेतु प्राधिकृत हो, के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में 10वीं कक्षा की समकक्ष उर्दू की परीक्षा (जहाँ कहीं ऐसी परीक्षा आयोजित कराने का प्रावधान है) उत्तीर्ण हो।

(3) आयु सीमा :- केवल वे ही अभ्यर्थी आयुष महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने प्रवेश परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परन्तु 25 वर्ष से अधिक आयु न हो।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

स्पष्टीकरण :- आयु प्रमाणित करने के लिए हाई स्कूल/ हायर सेकण्डरी(10+2) सर्टिफिकेट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र अथवा अंकसूची में अंकित जन्मतिथि को ही सही माना जायेगा ।

(4) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एच.एम.एस. एवं बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी.) में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत (Percentile) अंको के साथ, सामान्य श्रेणी के दिव्यांग संवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत (Percentile) अंक के साथ, तथा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तथा इन्हीं श्रेणियों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत (Percentile) अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंक/ परसेंटाईल में समय-समय पर किये गये परिवर्तन मान्य होंगे।

स्पष्टीकरण :- राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी.) प्राग् तिब अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होगी। प्राग् तिब अभ्यर्थियों के लिए बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।

4 सीटों का निर्धारण एवं आरक्षण :-

(1) सीटों का निर्धारण निम्नानुसार होगा :-

(क) शासकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों की सभी सीटें प्रवेश परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों/ गैर स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से भरी जावेगी।

राज्य के सभी शासकीय व निजी महाविद्यालयों की कुल सीटों में से 15 प्रतिशत सीट अखिल भारतीय कोटा के तहत एवं शेष 85 प्रतिशत प्रदेश के अभ्यर्थियों से भरी जावेगी।

नोटः- केन्द्र सरकार द्वारा विदेशी छात्रों हेतु आयुष महाविद्यालयों में निर्धारित सीट अखिल भारतीय कोटा के अतिरिक्त होगी।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों के राज्य कोटे की सभी सीटों पर नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य का आरक्षण नियम लागू होगा।

(ग) यूनानी महाविद्यालयों हेतु स्वीकृत प्रवेश क्षमता की कुल संख्या में से दस प्रतिशत सीटें प्रति वर्ष मुख्य पाठ्यक्रम में पार्श्विक प्रवेश हेतु प्राग्-तिब्ब पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित होंगी। पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रिक्त सीटें प्रवेश परीक्षा की प्रावीण्य सूची के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के लिए सीटों का आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी प्रचलित /

नवीनतम अधिसूचना के अनुसार किया जावेगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी **स्थायी जाति प्रमाण पत्र** मान्य होगा।

(3) प्रवेश परीक्षा द्वारा भरी जाने वाली सीटों की सभी श्रेणियों में **सैनिक संवर्ग** के लिए 03 प्रतिशत, **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग** हेतु 03 प्रतिशत, **दिव्यांग संवर्ग** हेतु 05 प्रतिशत एवं **महिला संवर्ग** हेतु 30 प्रतिशत श्रेणीवार क्षैतिज आरक्षण होगा।

स्पष्टीकरण–(1) सैनिक संवर्ग में आरक्षण का लाभ सैनिकों के पुत्र/ पुत्री को ही मिलेगा ।

स्पष्टीकरण–(2) सैनिक संवर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से दिव्यांग हो गए हों, के लिए सीटें आरक्षित हैं। इस संवर्ग के अन्तर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले अभ्यर्थियों को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह छत्तीसगढ़ में विस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/ पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अन्तर्गत आता है। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/ पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण–पत्र अपने पिता/माता के छत्तीसगढ़ में विस्थापित होने संबंधी प्रमाण–पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव,जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

अथवा

वह छत्तीसगढ़ के अथवा बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/ पुत्री है जो छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है। ऐसे अभ्यर्थियों को अपने माता पिता के छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा ।

अथवा

वह परीक्षा के वर्ष की 01 जनवरी को अथवा उसके पूर्व की तिथि में छत्तीसगढ़ में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र / पुत्री है ।

टिप्पणी :– सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत किसी अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

स्पष्टीकरण– (3) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग में आरक्षण का लाभ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/ पुत्री, पौत्र/ पौत्री (पुत्र की संतान) एवं नाती /नातिन (पुत्री की संतान) को ही मिलेगा ।

स्पष्टीकरण–(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिनका नाम छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के कलेक्टोरेट में रखी गई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में पंजीकृत है।

इस संवर्ग में उन्हीं अभ्यर्थियों को पात्रता होगी जो स्थानीय निवास के संबंध में नियम 2 के खण्ड (ज) में उल्लेखित अर्हताएं पूर्ण करते हैं ।

अथवा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से भी है जिनका नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) के कलेक्टोरेट में रखी गयी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची मे पंजीकृत है, परन्तु इस संवर्ग के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक, उसकी पत्नि/ पति एवं उनके पुत्र/ पुत्री को ही दिया जावेगा, जिनके पिता/ माता अथवा दादा/ दादी अथवा नाना/नानी का नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में पंजीकृत है ।

स्पष्टीकरण–(5) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को संबंधित जिले के कलेक्टोरेट से निर्धारित प्रारुप में प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । केवल कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही अभ्यर्थी का इस संवर्ग में होने संबंधी एकमात्र वैध एवं मान्य प्रमाण पत्र होगा ।

स्पष्टीकरण– (6) शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के प्रवेश की उपयुक्तता का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :-

सबसे पहले 50 से 70 प्रतिशत तक एक हाथ/ एक पैर (OA/ OL) अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जावेगा। ऐसे अभ्यर्थियों की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में 40 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम एक हाथ/ एक पैर (OA/ OL) अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

नोट :– (i) निम्नलिखित अशक्तताएं (दिव्यांगताएँ) के अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे :-

1. दोनों हाथों की दिव्यांगता
2. दोनो पैरों की दिव्यांगता
3. दृष्टिबाधित दिव्यांगता
4. बधिरीय दिव्यांगता
5. एक हाथ/ एक पैर (OA/ OL) की 40 प्रतिशत से कम एवं 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता।
6. निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 में सम्मिलित अन्य दिव्यांगताएँ।

(ii) काउंसिलिंग के समय छः (6) माह से अधिक पुराना दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(iii) **दिव्यांग संवर्ग** में प्रवेश का लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के **संभागीय मेडिकल बोर्ड** द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(4) सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग एवं महिला संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित सूची में सीटें समाप्त होने के पश्चात् उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों को उनकी स्वयं की श्रेणी में मेरिट आधार पर बिना संवर्ग के उचित क्रमांक पर रखा जायेगा।

(5) किसी भी श्रेणी का अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी /दिव्यांग/सैनिक संवर्ग में से किसी एक संवर्ग पर ही आरक्षण का दावा कर सकेगा। इसके लिए उसे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(6) **रिक्त सीटों पर प्रवेश :-**

(क) किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग एवं महिला संवर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों को उसी श्रेणी के ''बिना संवर्ग'' में परिवर्तित कर दिया जायेगा ।

(ख) किसी भी आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों को निम्नानुसार अन्य श्रेणियों में परिवर्तित कर दिया जायेगा :-

अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिये आरक्षित पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण रिक्त रह गयी सीट अनुसूचित जाति के पात्र उम्मीदवारों से भरी जायेंगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित रिक्त रह गयी सीट अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों से भरी जायेंगी। इन दोनों श्रेणियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण रिक्त रह गये सीटों को अन्य पात्र उम्मीदवारों से भरा जावेगा।

5. चयन प्रक्रिया :- (1) आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर की जावेगी।

(2) अखिल भारतीय कोटा के तहत सीटों के लिए सभी आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकरण/ संस्था द्वारा काउंसिलिंग आयोजित की जावेगी, तथा राज्य कोटे की सीटों के लिए सभी आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संचालक द्वारा काउंसिलिंग आयोजित की जावेगी।

अखिल भारतीय कोटा की सीटों में प्रवेश हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित संस्था द्वारा आयोजित काउंसिलिंग के अंतिम तिथि के बाद रिक्त रह गयी सीटों को केन्द्र सरकार द्वारा सूचित किये जाने पश्चात् राज्य कोटा की सीट में परिवर्तित कर नियमानुसार प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

6. परीक्षायें :- आयुष स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के संबंध में सूचना, समाचार पत्र/ वेबसाइट/ अन्य संचार माध्यमों से जानकारी प्रदाय की जा सकेगी।

7. प्रदेश के आयुष पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन एवं प्रावीण्यता सूची :-

केन्द्र सरकार से अधिकृत संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अर्ह अभ्यर्थियों से प्रदेश के आयुष पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आवेदन प्राप्त किया जावेगा :-

(क) राज्य शासन से अधिकृत संस्था द्वारा प्रदेश के आयुष महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑन-लाईन आवेदन लिया जायेगा। इस हेतु संचालक द्वारा विज्ञप्ति जारी की जावेगी।

(ख) प्रवेश परीक्षा के आवेदन में प्रविष्ट की गई प्रविष्टियों या अन्य कोई भी जानकारी जो कि यथावत राज्य ऑन-लाईन आवेदन में उपयोग की जाती है जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम इत्यादि में परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा राज्य ऑनलाईन आवेदन की प्रविष्टियाँ अंतिम तिथि उपरान्त परिवर्तनीय नहीं होगा।

(ग) ऑन-लाईन आवेदन के साथ ही निर्धारित आवेदन शुल्क एवं काउंसिलिंग शुल्क की राशि अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रूपये 500/- (रू. पाँच सौ मात्र) तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रूपये 300/- (रू. तीन सौ मात्र) देय होगा।

(घ) प्रवेश परीक्षा में प्राप्त किये गये परसेन्टाईल के आधार पर स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों की श्रेणी एवं संवर्गवार तथा गैर स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों की प्रावीण्यता सूची अधिकृत संस्था द्वारा तैयार की जावेगी।

8. काउंसिलिंग :-

(1) शासकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों के राज्य कोटे की सभी सीटों पर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही संचालक द्वारा की जावेगी।

(2) संचालक द्वारा श्रेणीवार उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर सामान्यतः 1:3 के अनुपात में सफल अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में उनके स्वयं के व्यय पर उपस्थित होने हेतु बुलेटिन/ वेबसाईट/ समाचार पत्रों/ अन्य संचार माध्यमों से जानकारी सूचित किया जायेगा। इस हेतु उन्हें पृथक् से बुलावा पत्र नहीं भेजा जावेगा।

(3) संचालक द्वारा विभिन्न श्रेणी एवं संवर्गो हेतु पंजीयन के लिए निर्धारित समय में अभ्यर्थी के उपस्थित न होने पर, वे उस तिथि को पंजीयन का अवसर खो देंगे। भविष्य में सीटों की उपलब्धता की दशा में आयोजित होने वाली काउंसिलिंग में जिस तिथि को वे उपस्थित होंगे, पंजीयन उपरान्त काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे।

(4) अभ्यर्थी को निर्धारित समय एवं दिनांक में आयोजित काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए निम्न दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा :-

01. प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र।
02. प्रवेश परीक्षा की अंक सूची।
03. दसवीं की मूल अंकसूची।
04. बारहवीं की मूल अंकसूची।
05. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।
06. स्थायी जाति प्रमाण पत्र (नियम 4 (2) के अनुसार)।
07. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र सहित विगत तीन वर्षो का आय प्रमाण पत्र (जो कि शासकीय/ केन्द्र शासन के कार्यालय का फार्म-16 अथवा तहसील कार्यालय से जारी किया गया हो)।
08. छत्तीसगढ़ राज्य के संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी शारीरिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (नियम 4 (3) के अनुसार)।
09. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र। (नियम 4 (3) के अनुसार)
10. सैनिक संवर्ग हेतु जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का प्रमाण पत्र। (नियम 4 (3) के अनुसार)

(5) उम्मीदवार के अध्ययन में यदि व्यवधान हो तो तत्संबंधी कारण बताते हुए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (गैप सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह भी स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि उक्त अवधि में अभ्यर्थी किन्हीं गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहा है।

(6) अभ्यर्थी जिस संस्था में अंतिम रूप से अध्ययनरत था उस संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जिसमें यह उल्लेख भी हो कि उम्मीदवार उक्त संस्था में कब से कब तक अध्ययनरत रहा, प्रस्तुत करना होगा।

(7) काउंसिलिंग समिति द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर प्रावीण्यता के आधार पर सीटों का आबंटन किया जाएगा ।

(8) काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना होगा । स्वयं उपस्थित न होने की स्थिति में उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि काउंसिलिंग हेतु उपस्थित हो सकेंगे।

(9) काउंसिलिंग समिति में संचालक आयुष या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय का एक प्राचार्य एवं कम से कम एक प्राध्यापक, और आदिमजाति कल्याण विभाग का एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे । अभ्यर्थी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को उक्त समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा ।

(10) चयनित अभ्यर्थियों को उपलब्ध महाविद्यालय, पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध सीटों की सूचना काउंसिलिंग के समय दी जायेगी । उसे मात्र एक महाविद्यालय, एक पाठ्यक्रम एवं एक सीट का चयन

करने का अधिकार होगा और उसे उसके द्वारा चयनित महाविद्यालय, पाठ्यक्रम एवं सीट पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

(11) काउंसिलिंग निम्न क्रम से की जायेगी :-

(क) अनारक्षित श्रेणी

(ख) अनुसूचित जनजाति

(ग) अनुसूचित जाति

(घ) अन्य पिछड़ा वर्ग

(12) किसी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को, जिसका नाम अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्यता सूची में भी हो, उसे अनारक्षित श्रेणी की काउंसिलिंग के समय सीट का चयन नहीं करने की स्थिति में आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी की काउंसिलिंग के समय उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय की सीटों में से सीट का चयन करना होगा, परन्तु अनारक्षित श्रेणी की सीट का चयन करने की स्थिति में उसे आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत सीट चयन करने की पात्रता नहीं होगी। अनारक्षित श्रेणी की काउंसिलिंग के समय उपस्थित नहीं होने पर इस प्रकार का घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(13) काउंसिलिंग के दौरान आयुष महाविद्यालयों की उन्हीं सीटों का आबंटन किया जावेगा, जिन्हें भारत सरकार/ राज्य शासन से इस वर्ष के लिए अनुमति प्राप्त हो चुकी है तथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता/ निरंतरता प्राप्त हो चुकी है।

(14) काउंसिलिंग के विवादित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु संचालक अथवा संचालक द्वारा गठित समिति का निर्णय ही अंतिम एवं मान्य होगा ।

(15) (क) काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी/ अधिकृत प्रतिनिधि को समस्त मूल प्रमाण पत्र काउंसिलिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। मूल प्रमाण पत्रों के अभाव में वह काउंसिलिंग में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका मूल प्रमाण पत्र/ अभिलेख किसी शैक्षणिक संस्था में जमा है तो उस संस्था प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) अभ्यर्थी को प्रवेश की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए काउंसिलिंग के समय प्रथम व्यावसायिक हेतु निर्धारित शुल्क की पचास प्रतिशत राशि संबंधित महाविद्यालय के काउन्टर में भुगतान कर प्रावधिक (Provisional) प्रवेश लेना होगा ।

(ग) प्रावधिक प्रवेश उपरांत अभ्यर्थी को संचालक आयुष या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित की गई तिथि तक संबंधित महाविद्यालय में शेष शुल्क की राशि जमा कर प्रवेश लेना होगा। निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लेने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश स्वयमेव निरस्त हो जायेगा ।

(घ) प्रावधिक प्रवेश पश्चात् अभ्यर्थी को आगामी काउंसिलिंग में समान पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी ।

(ङ) यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक काउंसिलिंग हेतु उपस्थित नहीं होता है या प्रवेश के समय आवश्यक मूल प्रमाण पत्र/ अभिलेख निर्धारित प्रारूप में एवं राशि का ड्राफ्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो वह अपनी योग्यता क्रमानुसार पाठ्यक्रम/संस्था में प्रवेश का अवसर खो देगा, तथापि बाद में यदि और काउंसिलिंग होती है तो उसमें उपस्थित होने पर सीट उपलब्ध होने की स्थिति में उसे प्रवेश देने के संबंध में विचार किया जा सकेगा ।

(च) काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम एवं संस्था का चयन करने के उपरान्त जमा की गई शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी ।

(छ) अभ्यर्थी को प्रवेश के समय काउंसिलिंग समिति के समक्ष तथा महाविद्यालय में आवश्यक सभी मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे ।

(ज) किसी भी श्रेणी एवं संवर्ग के अंतर्गत प्रावधिक प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर महाविद्यालय में उपस्थित न होने पर या प्रवेश लेने के उपरान्त संस्था छोड़ देने से या किसी अन्य कारण से स्थान रिक्त होते हैं तो उन रिक्त स्थानों के विरूद्ध प्रवेश, प्रावीण्यता के आधार पर आगामी काउंसिलिंग द्वारा दिया जावेगा ।

(झ) **स्थानीय निवासी अभ्यर्थी** अपने प्रावीण्यता के आधार पर अपनी काउंसिलिंग के समय उपलब्ध संस्था/ पाठ्यक्रम में से किसी में भी प्रवेश नहीं लेना चाहता है, तो वह लिखित में ऐसा अंकित कर सकता है। ऐसा अभ्यर्थी काउंसिलिंग के समय उपलब्ध सभी स्थानों पर अपना अधिकार खो देगा, और उसे किसी भी संस्था/ पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, परन्तु उसका नाम प्रावीण्यता के क्रम में यथावत रहेगा। ऐसे अभ्यर्थी को प्रदेश के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए संचालक द्वारा निर्धारित अंतिम काउंसिलिंग तक पुनः अवसर प्रदान किया जावेगा। इसके बाद स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची समाप्त मानी जायेगी।

इसके पश्चात प्रवेश हेतु रिक्त रह गई या रिक्त हुई सीटों में प्रावीण्यता (मेरिट) सूची के आधार पर **गैर** स्थानीय **निवासी अभ्यर्थी** को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश दिया जा सकेगा। तत्पश्चात रिक्त होने वाले किसी भी स्थान पर

प्रवेश के लिये किसी भी अभ्यर्थी के आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा एवं प्रावीण्यता सूची समाप्त मानी जायेगी।

(ञ) किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत महिला, सैनिक संवर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग एवं दिव्यांग संवर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को उसी श्रेणी के बिना संवर्ग में परिवर्तित कर भरा जावेगा ।

(ट) यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी या उसका अधिकृत प्रतिनिधि काउंसिलिंग के लिए नियत तारीख एवं समय पर उपस्थित नहीं होता है तो वह प्रवेश के लिये अपने सभी अधिकार खो देगा।

9. **प्रवेश रद्द करना** :- यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी महाविद्यालय में झूठी/ गलत सूचना देकर, सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश महाविद्यालय प्रमुख द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान तुरन्त, बिना किसी सूचना के, रद्द किया जा सकेगा । प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संचालक, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ़, का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

10. **चिकित्सकीय उपयुक्तता** :- अभ्यर्थी की चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी। इस हेतु उन्हें सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र (Fitnes Certificates) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश तभी दिया जायेगा, जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से उपयुक्त प्रमाणित हो जायेंगे ।

11. **शुल्क** :- आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए राज्य शासन/ फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क देय होगा तथा संस्थाओं द्वारा इसमें शासन की पूर्वानुमति के बिना वृद्धि नहीं की जा सकेगी।

12. **नियमों की व्याख्या** :- प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी होगा। प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा। छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक प्रवेश नियम में संशोधन का पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होगा।

व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा। छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक प्रवेश नियम में संशोधन का पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होगा।

13. आयुष मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, केन्द्रिय होम्योपैथी परिषद द्वारा काउंसिलिंग तिथि, प्रक्रिया, न्यूनतम अर्हकारी, प्राप्तांक इत्यादि के संबंध में जारी किये गये आदेश, निर्देश समयावधि में प्राप्त होने पर लागू किये जायेंगे।

14. **निरसन** :- इन नियमों के प्रवृत्त होने की तिथि से "छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम 2018" निरसित माने जावेंगे तथापि उन नियमों के अन्तर्गत की गई प्रक्रिया मान्य होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

–: अधिसूचना :–

रायपुर, दिनांक 13/11/2020

कमांक एफ 2–18/2010/नौ/55–तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ''छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019'' में निम्नलिखित संशोधन करता है। अर्थात्

–: संशोधन :–

उक्त नियम में,

01. नियम 2. के उपनियम (ख) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात् :–

''(ख) श्रेणी' से अभिप्रेत है, इन पांचो श्रेणियों में से कोई एक, अर्थात् 'अनुसूचित जाति', 'अनुसूचित जनजाति', 'अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर को छोड़कर)', ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) तथा 'अनारक्षित''

02. नियम 2. के उपनियम (ण) के पश्चात् निम्नांकित नवीन प्रविष्टियां अंतःस्थापित किये जाए, अर्थात :–

''(त) अखिल भारतीय कोटा'' से अभिप्रेत है, केन्द्र सरकार द्वारा भारत के किसी भी राज्य के उम्मीदवारों से भरी जाने वाली सीटें''

03. नियम 3. के उपनियम (ख) (4) के तीसरे, चौथे एवं छठवें पंक्ति में **''प्रतिशत''** के स्थान पर **''प्रतिशतक''** प्रतिस्थापित किया जाता है।

04. नियम 4. के उपनियम 1(ख) में निजीं महाविद्यालयों के पश्चात शब्द व चिन्ह **''(अल्पसंख्यक संस्था को छोड़कर)''** अंतःस्थापित किया जाता है।

05. नियम 4. के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थातः–

''(2) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) तथा ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अभ्यर्थियों के लिए सीटों का आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी प्रचलित / नवीनतम अधिसूचना के अनुसार किया जावेगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के उम्मीदवार हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा।''

06. नियम 4. के उपनियम (6) (ख) में अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर को छोड़कर) के पश्चात शब्द व चिन्ह **''तथा ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)''** अन्तःस्थापित किया जाता है।

07. नियम 4. के उपनियम (6) के पश्चात् निम्नांकित नवीन प्रविष्टियां अंतःस्थापित किये जाए, अर्थात :–

"(7) (क) राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मान्यता प्राप्त निजी आयुष महाविद्यालयों के कुल स्वीकृत सीटों में से राज्य कोटे की सीटों का 70 प्रतिशत सीटें, प्रदेश के स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय (जिस धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय हेतु किसी महाविद्यालय को मान्यता दी गयी है) के अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु आरक्षित रहेंगी। इन सीटों पर प्रवेश अल्पसंख्यक समुदाय (जिस धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय हेतु किसी महाविद्यालय को मान्यता दी गयी है) के अभ्यर्थियों के परस्पर प्रावीण्यता सूची से की जाएगी। इन सीटों पर किसी भी स्थिति में अन्य अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। शेष 30 प्रतिशत सीटों की पूर्ति सामान्य प्रावीण्यता सूची के अभ्यर्थियों द्वारा की जायेगी। इन सीटों पर छ0ग0 शासन का आरक्षण नियम लागू नहीं होगा।

(ख) अल्पसंख्यक समुदाय हेतु आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए समुदाय विशेष के (जिस धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय हेतु किसी महाविद्यालय को मान्यता दी गयी है) अल्पसंख्यक अभ्यर्थी को छत्तीगसढ़ शासन के प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।"

08. नियम 7. के उपनियम (ग) में अनारक्षित के पश्चात् शब्द व चिन्ह ",ई.डब्ल्यू.एस.(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)" अन्तःस्थापित किया जाता है।

09. नियम 7. के उपनियम (घ) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थातः–

"(घ) प्रवेश परीक्षा की प्रावीण्यता सूची के आधार पर स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों की सामान्य प्रावीण्यता सूची, श्रेणीवार, संवर्गवार एवं अल्पसंख्यक समुदाय (जैन) तथा गैर स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों की प्रावीण्यता सूची अधिकृत संस्था द्वारा तैयार की जावेगी।"

10. नियम 8. (1) में राज्य कोटे की सभी सीटों के पश्चात शब्द व चिन्ह "(अल्पसंख्यक संस्थाओं के सीटों को छोड़कर)" अंतः स्थापित किया जाता है।

11. नियम 8. के उपनियम (4) 07. के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थातः–

"07. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु स्थायी जाति प्रमाण पत्र सहित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विगत तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। माता का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में पिता का कोई आय नहीं होने अथवा पिता के जीवित नहीं होने अथवा पिता के साथ नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।"

12. नियम 8. के उपनियम (4)10. के पश्चात निम्नांकित नवीन प्रविष्टियां अंतःस्थापित किये जाए, अर्थात :–

"11. ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) उम्मीदवार हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र।

12. अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र (नियम 4(7)(ख) के अनुसार)"

13. नियम 8. के उपनियम (11) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(क) अनारक्षित श्रेणी
(ख) ई.डब्ल्यू.एस
(ग) अनुसूचित जनजाति
(घ) अनुसूचित जाति
(ङ) अन्य पिछड़ा वर्ग
(च) अल्पसंख्यक समुदाय''

14. नियम 8. के उपनियम (15) के पश्चात् निम्नांकित नवीन प्रविष्टियां अंतःस्थापित किये जाए, अर्थात :–
''(16) काउंसिलिंग की व्यवस्था हेतु निजी आयुष महाविद्यालयों को प्रवेश क्षमता के अनुरूप प्रति छात्र/ छात्रा के मान से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क काउंसिलिंग आयोजित करने वाली संस्था में जमा करना होगा, इस हेतु निजी आयुष महाविद्यालयों द्वारा छात्र/छात्राओं से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रेणु जी पिल्ले)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग